न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00223

1. दौलतराम पुत्र श्री मांगीलाल, जाति माली, जर्ये वलि माता गंगा बाई बेवा मांगीलाल, निवासी ग्राम रजलावता, तहसील नैंनवा, जिला बून्दी (राज0)।
2. लीला बाई पुत्री श्री मांगीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम रजलावता, तहसील नैंनवा, जिला बून्दी (राज0) ।
3. गंगा बाई बेवा श्री मांगीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम रजलावता, तहसील नैंनवा, जिला बून्दी (राज0)।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामभज पुत्र नन्दा, (मृतक) जर्ये कायम मुकामानः—
   1/1 कन्या बाई पत्नि रामभज
   1/2 कस्तूरचन्द पुत्र श्री रामभज
   1/3 घनश्याम पुत्र श्री रामभज
   1/4 कजौडी पुत्र श्री रामभज
   1/5 मोहनी बाई पत्नि श्री रामभज, जाति माली, निवासीगण ग्राम रजलावता, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0)
2. रामेश्वर पुत्र श्री चौथमल जाति माली, निवासी ग्राम रजलावता, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0)।
3. तुलसीराम पुत्र श्री चौथमल जाति माली, निवासी ग्राम रजलावता, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0) ।
4. मोहन पुत्र श्री चौथमल जाति माली, निवासी ग्राम रजलावता, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0) ।
5. हरलाल पुत्र श्री रघुनाथ, जाति माली, निवासी ग्राम रजलावता, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0) ।
6. भू—स्वामी जर्ये तहसीलदार नैंनवा, जिला बून्दी (राज0) ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह राजावत, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट 1/1 से 1/5 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 27.01.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 राममज ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रजलावता तहसील नैनवां की खसरा सं. 435 रकबा 11 बिस्वा खसरा सं. 452 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा खसरा सं. 480 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं. 486 रकबा 02 बिस्वा खसरा सं. 487 रकबा 09 बिस्वा, खसरा सं. 490 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 491 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं. 493 रकबा 17 बिस्वा, खसरा सं. 495 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं. 496 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि है । उक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/18 दर्ज है। एवं इसी प्रकार ग्राम रजलावता की भूमि खसरा सं. 20 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा खसरा सं. 437 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा खसरा सं. 479 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं. 492 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा खसरा सं. 494 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा खसरा सं. 913 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा भूमि है जिसमे वादी का हिस्सा 1/9 दर्ज है। प्रतिवादी रेस्पो. 05 हरलाल का पिता रूघनाथ अन्य व्यक्ति सांवला के गोद चला गया था, जिससे हरलाल ही उत्पन्न हुआ। हरलाल गोद जाने के बाद ही उत्पन्न हुआ है। वाद पत्र मे उल्लेखित उक्त सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का पूर्व में ही बाहमी विभाजन हो रहा है, जिसके अनुसार वादी रेस्पोन्टडेन्ट कम 01 के हिस्से में खसरा सं. 491, 490 की भूमि तथा खसरा सं. 494 व खसरा सं. 486 की भूमि आई है। इस प्रकार वादी रेस्पोन्टडेन्ट 01 के हिस्से में कुल 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि आयी है, जिस पर बहैसियत खातेदार कृषक वादी ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। वादी रेस्पोन्टडेन्ट कम 01 को अधिकार प्राप्त है कि बाहमी विभाजन के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाये अथवा प्रत्येक खसरा नं. के अनुसार पुनः विभाजन किया जाकर खाता पृथक–पृथक राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेश में दर्ज किया जावे। अपीलान्टगण (प्रतिवादीगण 1 लगायत 3) सम्पूर्ण भूमि से वादी को बेदखल करने, भूमि को नष्ट भ्रष्ट करने, भूमि का बैचान व अन्य अंतरण करने पर आमादा है। जिसके कारण वो वादी को गंभीर धमकियां भी दे रहे है। अतः अपीलान्टगण (प्रतिवादीगण 1 लगायत 3) को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के लिए ये वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ कि वो वादी के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे, भूमि को अन्तरण बेचान नहीं करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर उक्त आराजीयात मे वादी रेस्पोन्टडेन्ट कम 01 एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के मध्य हिस्से अनुसार मौके पर भूमि का विधिवत व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश पारित किया जाकर अपीलान्टगण (प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3) को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वे विभाजन में आई वादी की भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे ना ऐसा किसी अन्य से कराये। प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश देते हुए, तहसीलदार नैनवां को बटवारा रिपोर्ट दो प्रतियों में भिन्न–भिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हुये 15 योम में न्यायालय में पेश करने के लिए आदेशित किया गया।

4. परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 99/2018 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31.05.2019 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने अपनी अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का कथन किया।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अपील के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 19.09.2022 को अपिलार्थी अपीलान्ट ने रणजीत पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु की सूचना देते हुए प्रार्थना पत्र बाबत् नाम विलोपित करने पेश किया। और दिनांक 01.11.2022 को अप्रार्थी कस्तूरचंद द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् नाम विलोपित करने का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया और रामचन्द्र के वारिसान रस्पो 1/1 लगायत 1/5 को रिकार्ड पर लिया गया।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर बंटवारा व बकाया किराया के वाद को निस्तारित कर कानूनी त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में बिना विवाद्यक बिन्दु व तथ्य वर्णित किये गये निर्णय जिसमें वादी व शेष प्रतिवादी की आपसी मिलीभगत थी। अधिनस्थ न्यायालय ने यह संपूर्ण त्रुटियां पत्रावली पर होते हुए भी विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा इसी बात को दर्शित करता था कि वादी व शेष प्रतिवादी आपस में मिले हुए है और अधिनस्थ न्यायालय के जो समन जारी हुए उनकी भी वास्तविक तामील नहीं करवाई जाकर मिलीभगत से तामील करवाई गई है, जिसका लाभ वादी उठाते प्राप्त कर सके। एक ही दिन दिनांक 29/05/2019 को साक्ष्य प्रक्रिया सम्पूर्ण की गई व उसके बाद तारीख पेशी 08/08/2019 नियत किये जाने के पश्चात् भी पत्रावली को दिनांक 31/05/2019 को न्यायालय के समक्ष उसी दिन बहस सुनी जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई जो पूर्ण रूप से विधि की प्रक्रिया के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने नाबालिग के हितों के विपरीत निर्णय पारित किया है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 नाबालिग को बालिग दर्शाया गया जबकि रिकार्ड के अनुसार वह मात्र 16 वर्ष पूर्ण कर 17 वर्ष का है। अधिनस्थ न्यायालय ने जैसा वादी ने कथन किया उसी के अनुरूप निर्णय पारित किया है, जबकि वास्तविकता भिन्न है। जिस विवादित आराजी को लेकर वादी न्यायालय के समक्ष आये है, वह आराजी वादी ने दिनांक 29/05/1992 को अपने हिस्से अनुसार प्रतिफल प्राप्त कर अपीलान्ट क्रम 1 व 2 के पिता और प्रतिवादी संख्या 3 के पति को बेचान कर दी थी और उसी के अनुरूप अपीलान्टगण काबिज काश्त है। यह सब तथ्य अधिनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत होने पर सामने आते व वाद की वास्तविक स्थिति के अनुसार तनकीह कायम की जाकर निर्णय पारित किया जाता। ऐसी स्थिति में भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्रारंभिक निर्णय व डिक्री जेरे अपील सेवा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता दिनांक 31/05/2019 को निरस्त फरमाते जाकर वाद खारिज किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय को विवादित आराजी पर प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर साक्ष्य व दस्तावेजों का समुचित विश्लेषण कर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

7. अपील में रेस्पोण्डेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी पर खातेदारान खातेदार कृषक वादी ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। तथा वादी को अधिकार प्राप्त है कि आपसी विभाजन के अनुसार भूमि का विभाजन किया जावे अथवा प्रत्येक खसरा नं. के अनुसार पुनः विभाजन किया जाकर सबका पृथक–पृथक राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे। अपीलान्टगण सम्पूर्ण भूमि

से वादी को बेदखल करने, भूमि को नष्ट भ्रष्ट करने, भूमि का बेचान व अन्य अंतरण करने पर आमादा है। जिसके कारण वो वादी को गंभीर धमकियां भी दे रहे है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2019 बहाल रखा जाए।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 374 ग्राम रजलावता प्रदर्श–1 व जमाबन्दी खाता संख्या 86 ग्राम रजलावता प्रदर्श–2 से स्पष्ट है कि खाता संख्या 374 में दर्ज आराजी में वादी का 1/18 एवं खाता संख्या 86 में वादी का 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। खसरा गिरदावरी ग्राम रजलावता प्रदर्श–4, साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू–1 रामभज वादी, पी.डब्लू–2 रामरतन, पी.डब्लू–3 हरपाल के बयानों का अवलोकन किया। अपीलांट को दिनांक 23.07.2018 को जारी सम्मन नोटिस नियत तारीख पेशी दिनांक 28.09.2018 से पूर्व ही दिनांक 14.08.2018 को तामील हो गए। अतः अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया था। एकतरफा सूचना के अपीलांट स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2019 के अनुसार " वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि ग्राम रजलावता तहसील नैनवां खसरा संख्या 435 रकबा 11 बिस्वा, खसरा सं. 452 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा खसरा सं. 480 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं. 486 रकबा 02 बिस्वा खसरा सं. 487 रकबा 09 बिस्वा, खसरा सं. 490 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 491 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं. 493 रकबा 17 बिस्वा, खसरा सं. 495 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं. 496 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा एवं चरण संख्या 2 में वर्णित ग्राम रजलावता की भूमि खसरा सं. 20 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा खसरा सं. 437 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा खसरा सं. 479 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं. 492 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा खसरा सं. 494 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा खसरा सं. 913 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 7 के मध्य हिस्से अनुसार मौके पर भूमि का विधिवत व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विभाजन में आई वादी की भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ऐसा किसी अन्य से करावें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।" उपरोक्त प्राथमिक डिक्री अनुसार अभी तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है जिससे अपीलांट के इस कथन को बल मिलता हो कि दिनांक 20.05.1992 को वादी द्वारा प्रतिफल प्राप्त कर निर्धारित भूमि अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता तथा अपीलांट संख्या 3 के पति को बेचान कर दी हो। केवल इस मौखिक कथन के आधार पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह पक्षकारों का दायित्व है कि वे न्यायालय से सम्मन प्राप्त होने पर वहां उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट सम्मन तामील होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। प्राथमिक डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के मध्य हिस्से अनुसार मौके पर भूमि का विधिवत् कब्जे काश्त अनुसार विभाजन के आदेश दिए है। अपीलांट के हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने माना है। चूंकि बंटवारा प्रस्ताव तैयार होकर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलांट को न्यायहित में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर उपस्थित होने एवं बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर

दिया जाना न्यायहित मे उचित है। जहां तक प्राथमिक डिक्री मे हिस्से व विधिवत कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन के आदेश दिये गए है, हमारे मतानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार विधिवत बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए है। यहाँ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने विधिवत शब्द का प्रयोग किया है, विधिवत बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने का आशय राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना किये जाने से है। चूंकि प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2019 से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था, अतः प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री को निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। परंतु हमारे विनम्र मत मे मे प्राथमिक डिक्री मे निर्धारित हिस्सो के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय तथा अधीनस्थ न्यायालय मे उन पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर अपीलांट को दिया जाना उचित है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2019 बहाल रखी जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व उभय पक्षकारान को सूचित किया जावे तथा राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना करते हुए, प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय उभय पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 03.03.2023 को उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा